संख्या-14 /2019/610 /30-3-19-6बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 09 मार्च, 2019

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 13-09-2018 में अनुमोदित जनपद-झांसी एवं बरेली में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-297स0सु0/2019-84स0सु0/2015, दिनॉक 02-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 13-09-2018 में अनुमोदित झांसी एवं बरेली में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-148/2018/3906/30-3-2018-06बी/2018, दिनांक 14.12.2018 एवं शासनादेश संख्या-149/2018/3907/30-3-2018-06बी/2018, दिनांक 14.12.2018 द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करने हेतु दिनांक 28.02.2019 से गठित समिति द्वारा संस्तुत लागत के क्रम में निम्नवत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा कोष प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त कार्यों के लिये पुनर्वैधीकरण के रूप में अनुमोदित एकमुश्त धनराशि रू0 2500.00 लाख से कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 26.02.2019 द्वारा अनुमोदित की गयी धनराशि के क्रम में प्रत्येक केन्द्र के लिये उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित प्रथम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव/कार्यदायी संस्था का नाम (रू0 लाख में)	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	झांसी	**474.95** उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	**474.95**	**237.00**
2	बरेली	**463.00** कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ	**463.00**	**231.00**
			योग -	**468.00** **(रू0 चार करोड़ अड़सठ लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रशा०विभाग द्वारा वित्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/दस-दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(3) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य किया जाएगा।

(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना का कार्य पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(6) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रशा० विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(11)(घ) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि की आगामी किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्गत की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(9) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि बिना मूल्यांकन समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यूओ0-ई-9-602/10-19, दिनांक 09 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-14/2019/610(1)/30-3-2019, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- जनपद-झांसी एवं बरेली।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- (1) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ (2) कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।